

उत्तराखण्ड शासन .
 वित्त अनुभाग-9
 संख्या- /XXVII(9)/2014/स्टाम्प -11/2013
 देहरादून: दिनांक: 17 सितम्बर, 2014


अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार/राज्य सरकार के संस्थान जिन्हें लोक प्रयोजन हेतु दान स्वरूप निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, की भूमि पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(भास्करानन्द)
 सचिव।

संख्या-238 (1)/XXVII(9)/2014/स्टाम्प-11/2013 तददिनांकित।

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
 2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/जिलाधिकारी, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
 3. महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 4. महालेखाकार औबराय बिल्डिंग माजरा देहरादून उत्तराखण्ड।
 5. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री।
 6. न्याय/विधायी अनुभाग।
 7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100-100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
 8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
 9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (अरुणेंद्र सिंह चौहान)
 अपर सचिव।